रामकरण 222/24 बनाम मे० शिव मनोरमा

8/11/24 पत्रावली पेश [illegible]
अन्य राज [illegible]
पत्रावली पूर्व [illegible] 22/11/24
को पेश हो। प्रार्थीगण/वकील को तारीख बताई
[illegible]

22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० मूलवाद के साथ दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

6/12/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible] राज कार्य में [illegible]
[illegible] 27/12/24 13/12/24
[illegible] हो।

13/12/24 पत्रावली पेश [illegible] साहब
अन्य रा [illegible]
[illegible] 20/12/24
को पेश हो।

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब
अन्य राज [illegible] अत:
पत्रावली पूर्व [illegible] 3/1/25
को पेश हो।

3/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र टी० आई० का आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः यह प्रा० पत्र टी०आई० को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1

Read

न्यायालय मान्यवर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :- 222/2024

1. रामकरण,
2. रामदयाल
3. गणेश नारायण
4. हनुमान सहाय, पुत्रान लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मेसर्स शिव मनोरमा डवलपर्स प्रा.लि. निदेशक मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव जाति अहीर, नि. पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी. बाबा पेराडाईज के पास गोल्यावास मानसरोवर जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जि. जयपूर।

अप्रार्थीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त अधिनियम 1955

मे

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 सी0 पी0 सी0

महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो ठोस, सारवान तथ्यों एंव प्रलेखीय साक्ष्यों पर आधारित होनें से प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलनें की पूर्ण आशा हैं।
2. यह कि राजस्व ग्राम वालावाला पटवार हल्का लाखना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मुहाना, तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के खाता ख. 208 गत खाता संख्या 180 के ख.न. 35/1012 रकबा 0.1000 है., ख.न. 36 रकबा 0.4400 है. ख.न. 37 रकबा 0.4200 है., ख.न. 38 रकबा 0.3800 है., ख.न. 39 रकबा 0.5900 है., ख.न. 40 रकबा 0.7800 है., ख. न. 41 रकबा 0.1300 है., ख.न. 42 रकबा 0.5000 है., ख.न 43 रकबा 0.0200 गै.मु. चाह, ख.न. 44 रकबा 0.3300 है., ख.न. 45 रकबा 0.7800 है., कुल किता 11 कुल रकबा 4.4700 है., के प्रार्थीगणा रा. 1 लगायत 4 हिस्से 1/4, 1/4 के काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग-उपभोग प्रार्थीगणविना किसी बाधा के करते आ रहे है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि एवं इसके सींव जोड पश्चिम दिशा में लगवा खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 44/993,

रामकरण रामदयाल गणेश हनुमान